न्यायालय
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी– प्रथम,
रोसड़ा, समस्तीपुर।
विचारण सं0–1205/2019

19.08.2019 परिवादी की ओर से समयावेदन दाखिल किया गया। जमानतीय चार अभियुक्तों की ओर से प्रतिनिधित्व आवेदन दाखिल किया गया जिसे आज के लिये स्वीकृत किया गया। अभियुक्त 1. रंजीत राम न्यायालय में आत्मसमर्पण करते हैं। आवेदक अभियुक्त की ओर से जमानत सह आत्मसमर्पण आवेदन पत्र अधिकार पत्र के साथ दाखिल किया गया। जमानत आवेदन पत्र की कॉपी परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रदान की गयी।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रार्थी निर्दोष हैं तथा कोई अपराध नहीं किये हैं। अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन को छोड़कर अन्य कोई जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है और न लंबित है। अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की सभी धाराएँ जमानतीय है। आवेदक अभियुक्त का संज्ञान पश्चात न्यायालय में प्रथम उपस्थिति है। उभय पक्ष के बीच भूमि विवाद है। जिसके कारण बॅटवारा वाद सं0–154/2017 अवर न्यायाधीश प्रथम, रोसड़ा के न्यायालय में लंबित है। आवेदक अभियुक्त को इस वाद में गलत रूप से दबाव बनाने के नियत से फॅसाया गया है। सहअभियुक्तगण दिनांक–02.07.2019 के आदेश के द्वारा जमानत पर हैं। आवेदक अभियुक्त का भविष्य में फरार होने की कोई संभावना नहीं है और न ही साक्ष्य को ही नष्ट करने की संभावना है। इसलिए जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को जमानत के बिंदु पर सुना।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवदेक अभियुक्त के विरूद्ध भा0 द0 वि0 की धारा– 323, 504/34 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है जिसमें सभी धाराएँ जमानतीय है। आवेदक अभियुक्त का संज्ञान पश्चात प्रथम उपस्थिति है। अभियुक्त स्वंय न्यायालय में आत्मसमर्पण किये हैं तथा उभय पक्ष के बीच भूमि विवाद है। जिसके कारण बटवारा वाद सं0–154/2017 उभय पक्ष के बीच न्यायालय में लंबित है एवं सहअभियुक्तगण दिनांक–02.07.2019 के आदेश के द्वारा जमानत पर हैं।

उपरोक्त परिस्थिति के आलोक में अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से मो0 5,000/– रूपये के समान राशि के एक प्रतिभू द्वारा बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

अ0 मु0 न्या0 द0, प्रथम,रोसड़ा।

बाद में
19.08.2019 उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त 1. रंजीत राम की ओर से बंधपत्र दाखिल किया गया। जिसे जॉचोपरांत सही पाकर स्वीकृत किया गया।

लेखापित

अ0 मु0 न्या0 द0, प्रथम, रोसड़ा।